

फर्द अहकाम

बनाम श्री लाल उठा

नाम न्यायालय

केस संख्या

4/2016

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	14/5/24	<p>प्राथमिकी के अन्तर्गत वापसी / प्रत्युत्तर के अन्तर्गत अतिरिक्तता उपस्थित नहीं करने के अन्तर्गत वापसी के अन्तर्गत अतिरिक्तता को वापस करने का आदेश लगाया गया है। अन्तर्गत कोर्ट से कोई भी उपस्थित नहीं होने से वापसी का प्रमाण अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत स्विकृत सिद्ध किया है परन्तु अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत</p>	

सुषमा अधिकारी
 जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

